राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर

(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./जॉबकार्ड/2019–20 जयपुर, दिनांक 13 APR 2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्डस के अपडेशन एवं सत्यापन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्री महोदय ग्रावि एवं पं.राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा बैठक दिनांक 04.04.2022 में योजना से संबंधित दिये गये निर्देशों के क्रम में लेख है कि योजना को सुचारु रुप से क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. प्रत्येक श्रमिक परिवार को जारी जॉबकार्डस का नवीनीकरण, अद्यतन (Updation) तथा सत्यापन नियमित रुप से किया जावे।
2. सरपंच/ग्राम सेवक/ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/मेट आदि के पास श्रमिकों के जॉबकार्ड इकट्ठा रखना उचित नहीं है। अतः कार्यस्थल पर नियोजित प्रत्येक श्रमिक के पास अपडेटेड जॉबकार्ड उपलब्ध हो। यदि किसी भी कार्य स्थल पर मेट के पास जॉबकार्ड अनुचित रूप में संचित पाए जाते हैं, तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर उसका भुगतान रोका जाए। यदि किसी स्थान पर श्रमिकों का जॉबकार्ड अपडेटेड न हुआ पाया जाए, तब भी मेट के विरूद्व उक्तानुसार कार्यवाही की जावे।
3. जॉबकार्ड में नियोजन एवं भुगतान संबंधी प्रविष्टियां नियमित रुप से की जावे।
4. नरेगा सॉफ्ट में जॉबकार्ड में श्रमिकों/परिवारों के आधार संख्या व जन आधार संख्या की एंट्री अनेक जिलों में लम्बित है (सूचना संलग्न)। इनकी नरेगा सॉफ्ट पर एंट्री सुनिश्चित की जावे ताकि जॉबकार्ड से वंचित परिवारों का डाटा पोर्टल से प्राप्त किया जा सके।

Scanned with CamScanner

5. वित्तीय वर्ष 2021—22 में श्रमिको द्वारा किये गये कार्य का विवरण यथा मानव दिवस एवं भुगतान संबंधी विवरण का इन्द्राज का कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में किये जाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाये। दिनांक 30.04.2022 तक समस्त जॉबकार्डस का अपडेशन का कार्य पूर्ण किया जावे । इस संबंध में विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी विकास अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। दिनांक 05.05.2022 तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्तर पर जॉबकार्डस अपडेशन से संबंधित सूचना एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त बिन्दुओं की नियमित पालना एवं समीक्षा सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के.के. पाठक)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner